

विषय:

## एफ-22-51/2016/पैंतीस

का विभाग

विषय- याचिका कमांक WP 2524/16 द्वारा श्री राम सोनी एवं श्री रामपत्र तिवारी, सागर विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

पंजी कमांक 1192/2016, दिनांक 1.3.2016

क्पया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें। मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका कमांक WP 2524/16 द्वारा श्री राम सोनी एवं श्री रामपत्र तिवारी, सागर दायर की गई है।

प्रकरण में संचालक, पशुपालन द्वारा शासन की ओर से पक्ष समर्थन एवं प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये जाने हेत् उप संचालक पश् चिकित्सा सेवाएं जिला सागर को प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

यदि मान्य हो तो संचालक पशुपालन के प्रस्तावानुसार उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं जिला सागर को प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

तुदन्सार प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

म अ अषा अस्तातित

8-110

गस्ती क.1727 । प्र.स. पिलुपा / 2016 आवक दिनाक ०.ड

CCNS14

# IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR.

Contempt Case NO. 956/2014

PETITIONER

2.

Deo Prakash

<u>Versus.</u>

RESPONDENTS:

Prabhanshu Kamal & others

### REPLY ON BEHALF OF RESPONDENTS.

The respondent, named above, respectfully submits as under:-

1. The petitioner has filed the present contempt petition under Article 215 of the Constitution of India read with Section 12 of the Contempt of Courts Act alleging non-compliance of the order dtd. 21/7/2014 passed by this Hon'ble Court in W.P. No. 403/2014, whereby the Hon'ble Court was pleased to dispose of the writ petition with a direction to decide the claim of the petitioner in accordance with the order already passed by the Indore Bench of this Hon'ble Court in W.P. No. 2051/2011 and various other cases.

At the very out set it is respectfully submitted that the answering respondents are holding a public office in the State Government and being a public servant they fully understand the importance and sanctity of the orders passed by this Hon'ble Court. The answering respondents have full regards for the orders passed by this Hon'ble Court as well as any other Court order. By no stretch of imagination

they can think of flouting of any direction or order of this Hon'ble Court. In the instant case also no direction/order of this Hon'ble court—has been flouted by the answering respondents. The answering respondents—tender their unconditional and sincere apology before this Hon'ble—Court.

- 3. That is respectfully submitted that in compliance to the order of this Hon'ble Court the claim of the petitioner has been considered and examined and the same has been rejected by passing a reasoned and speaking order on 11/2/2014. Copy of order dtd. 11/2/2014 is filed herewith as Annexure R-1. It is submitted that a meeting was held under the chairmanship of the Principal Secretary of the General Administration Department in terms of the recommendations made by the Brahamswaroop Samiti with regard to pay scale and the Committee has decided that the petitioner is not entitled to get the pay scale of Laboratory Technican of the other Departments. Thus the order of this Hon'ble Court has been complied with and there is no disobedience of any order or direction of this Hon'ble Court.
  - It is further submitted that the this Hon'ble Court bench at Indore has disposed of a contempt case on the same subject matter vide order dtd. 17/6/2014 giving liberty to the petitioner to challenge the order passed by respondents on merits. Copy of the order dtd. 17/6/2014 is filed herewith as Annexure R-2.

In view of the above submissions, in case any inadvertent lapse on the part of the answering respondents is observed by this Hon'ble Court, the answering respondents tender their unconditional

1 6 JUL 2014

4.

### मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग मंत्रालय, वल्लम भवन—462004

#### आदेश

भोपाल, दिनांक 🤈 मार्च 2016

कमांक एफ-22-51/2016/पैंतीस - प्रकरण में सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला सागर को प्रकरण कमांक WA 2524/2016 श्री राम सोनी एवं श्री रामपत्र तिवारी में मध्यप्रदेश राज्य शासन के लिए तथा शासन की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसांजात होने के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में, जिनमें ब्यौरे नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

(1) प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेंगे जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया जाता है तो उस विभाग को राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।

- (3) वादपत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा।

(6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेंगे :--

(क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट।

(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

- (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूचि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
- (घ) मामले के विश्वदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए,
- (7) मामले के तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव अवगत रखना।
- (8) जब कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में, रिपोर्ट बनाने में, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है तथा तब वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह जाए।

(13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह जैसे ही वाद की विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की

जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

(14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकम में पारित किए गए किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उन आदेशों की प्रति जैसे ही पारित किया जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> > dow 8 3 16 (कलिस्ता कुजूर)

अवर सचिव वि मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग भोपाल, दिनांक 🖣 मार्च, 2016

पु.कमांक एफ-22-51/2016/पैतीस प्रतिलिपि-

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

2. संचालक, पशुपालन, मध्यप्रदेश, भोपाल।

3. कार्यालय-महाधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर।

4. उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला सागर प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिए वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

अवर सचिव ्रास्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग

git ition Date	rending
Case fetail	WRIT PETITION (WP) 2524/2016
ØA Name	Lalit Kumar Marco [WP-II-DA-19] [CIS User ID : 154]
First Entry Clerk	
Last Updated By	Default Clerk 1 On 04-02-2016 04:44:53
Last Listed On	05-02-2016 [REGISTRAR (J-I)]
Last Order	
Tontative date	05-02-2016 (Computer generated)
Update On	NOT UPDATED
Status	Pending
Stage	Motion Hearing
	[DEFAULT / OTHER MATTERS]
	(32. FRESH)
Statutory Info.	[(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES LEGIBLE COPY OF PAGE NO.
	14 AND 16 TO 18. (Entered on : 03-02-2016)]
Bench	Single Bench
Scanning Info	The Judgment/Order has NOT been Scanned!
Category	SERVICE RELATING TO STATE GOVT17100
	Absorption-17121
	Absorption-17121
Act	A PETITION FILED UNDER ARTICLE 226 AND/OR 227 OF
	CONSTITUTION
Petitioner(s)	1 RAM SONI S/D/W/Thru:- SHRI BATTU LAL SONI
	CATTLE ATTENDANT DEPUTY DIRECTOR VETERINARY SERVICES
	OUT LINE DESPENSARY MADAIYA GOND SAGAR SAGR , Sagar ,
	MADHYA PRADESH
	2 RAMDATT TIWARI S/DW/Thru:- AVADH NARAYAN TIWARI
	BULL ATTENDANT DEPUTY DIRECTOR VETERINARY SERVICES
	SUB CENTER, BUNHET, SAGAR, Sagar, MADHYA PRADESH
Respondent(s)	1 THE STATE OF MADHYA PRADESH
	THROUGH THE SECRETARY DEPT OF ANIMAL HUSBANDRY
	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, Bhopal, MADHYA PRADESH
	2 DIRECTOR VETERINARY SERVICES,
	VAISHALI NAGAR, KAMDHENU BHAWAN , Bhopal , MADHYA
	PRADESH
Pet. Advocate(s)	VIPIN YADAV
	PANKAJ YADAV
	S SHUKLA
Resp. Advocate(s)	ADVOCATE GENERAL
Caveat No.	
District	SAGAR
J/Section	